तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम अरवाला के खातासंख्या 12 में वर्णित वादग्रस्त आराजी नम्बर 187, 189, 191, 253, 403/291, 404/350, 405/351 कुल किता आराजी -7 कुल रकबा 2.2130 है० भूमि पैतृक स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/27 हक हिस्सा है। प्रार्थी को 1/27 हक हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाने तक के लिए रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे बहस में कथन किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र, एव पारिवारिक सजरा एवं राजस्व रेकार्ड के अवलोकन के उपरान्त विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा अरवाला के खातासंख्या 12 में वर्णित आराजी नम्बर 187, 189, 191, 253, 403/291, 404/350, 405/351 कुल किता आराजी 7 कुल रकबा 2.2130 है० भूमि की राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग, उपभोग में दखल एवं बाधा पैदा नहीं करें। बेचान नहीं करें [illegible] वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की [illegible] बनाये रखें। पत्रावली [illegible] सुनवाई [illegible] नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2022.08.23 15:36:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner